रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2000/भाद्र 8, 1922
No. 565] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2000/BHADRA 8, 1922

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2000

का.आ. 788(अ).— यतः केन्द्र सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों, यथा (i) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 31 मार्च, 1993 के बाद आबाद हुई अनधिकृत कालोनियों/हुए निर्माणों, (ii) उपर्युक्त क्षेत्र की कृषि हरित पट्टी में सैनिक फार्म सहित कभी भी हुए अवैध निर्माणों की जांच पड़ताल के प्रयोजन हेतु एक जांच आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है,जिनसे दिल्ली के योजनाबद्ध विकास को भारी नुकसान पहुंचा है और नगरीय मूलभूत सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ा है तथा निवासियों के आम जीवनस्तर की गुणवत्ता में गिरावट आयी है।

अतः, अब, केन्द्र सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस जी.टी. नानावटी की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त करती है।

विचारार्थ विषय

I 31 मार्च, 1993 के बाद की अनधिकृत कालोनियां

(क) उन हालातों और तौर-तरीकों के बारे में जांच पड़ताल करना, जिनके अंतर्गत सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों की, इस प्रतिबद्धता के बावजूद कि इस प्रकार की किसी अनधिकृत कालोनी को मंजूरी नहीं दी जाएगी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31 मार्च, 1993 के बाद अनधिकृत कालोनियां आबाद हुईं ;

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूहों या जन सेवकों का पता लगाना और उनपर जिम्मेदारी तय करना, जो, विषयगत कानूनों (नगरीय एवं राजस्व कानूनों तथा नगर नियोजन एवं परिक्षेत्र विनियमनों और भवन

उप-नियमों आदि सहित) का उल्लंघन करते हुए, इन कालोनियों के बसने या उनके पनपने में निमित्त बने हैं, या जिन्होंने मदद की है, या उकसाया है, या अन्य किसी प्रकार से मिलीभगत की है ;

(ग) उन सरकारी सेवकों का पता लगाना और उनपर जिम्मेदारी तय करना, जो उपर्युक्त कानूनों के उल्लंघन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, अथवा जिन्होंने अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वाह में किसी प्रकार की उदासीनता या ढिलाई बरती है ।

II. कृषि हरित पट्टी में सैनिक फार्म और अन्य अवैध निर्माण

(क) उन हालातों और तौर-तरीकों के बारे में जाँच-पड़ताल करना, जिनके तहत नगरीय और राजस्व कानूनों, परिक्षेत्र विनियमनों, भवन उपनियमों और योजना मानकों के उल्लंघन में सैनिक फार्म 'एक अनधिकृत धनाड्य कालोनी' तथा अन्य अवैध निर्माण कभी भी हुए हों ;

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों या जनसेवकों का पता लगाना और उन पर जिम्मेदारी तय करना, जो कृषि हरित पट्टी में सैनिक फार्म और अन्य अवैध निर्माणों के होने में निमित्त बने हैं या जिन्होंने मदद की है या उकसाया है ।

III. अनुषंगी मामले

सभी अनुषंगी मामलों पर विचार करना और ऐसे उपायों/तरीकों की सिफारिश करना जिन्हें विषयगत कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा भविष्य में अनधिकृत कालोनियों/निर्माणों के अस्तित्व में आने की रोकथाम के लिये अपनाया जाना जरूरी है ।

समय सीमा

आयोग अपनी प्रथम बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. जे.-13036/4/2000-डीडी II बी]

डा. निवेदिता पी. हरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2000

S.O. 788(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into definite matters of public importance, namely, (i) coming up of unauthorised colonies/constructions in National Capital Territory of Delhi after March 31,

1993 and (ii) illegal constructions, irrespective of the date, in the agricultural green belt of the aforesaid Territory including Sainik Farm, which have seriously undermined the objective of planned development of Delhi and caused severe strains on the civic infrastructure and also lowered the general quality of life of the inhabitants.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry, headed by Mr. Justice G.T. Nanavati, a retired Judge of the Supreme Court of India.

Terms of Reference

I. Post-March 31, 1993 unauthorised colonies

a) To inquire into the circumstances and the manner in which unauthorised colonies have come up in the National Capital Territory of Delhi after March 31, 1993, despite the resolve of the Government and its various agencies and local authorities that no such unauthorised colony would be countenanced;

b) To identify and fix responsibility of the individual or groups of individuals or public servants who have caused or aided or abetted or in any way connived at the setting-up of these colonies or their growth, in violation of laws on the subject, including the civic and revenue laws and planning and zoning regulations and building bye-laws,etc.;

c) To identify and fix responsibility of public servants who have failed to take effective action to check violations of the aforesaid laws or in any way showed negligence or laxity in discharge of their duties and obligations.

II. Sainik Farm and other illegal constructions in agricultural green belt

a) To inquire into the circumstances and the manner in which, irrespective of

the date, Sainik Farm, 'an unauthorised affluent colony', and other illegal constructions have come up, in violation of civic and revenue laws, including zoning regulations, building bye-laws and planning norms;

b) To identify and fix responsibility on the individual or groups of individuals or public servants who have caused, aided or abetted in coming up of Sainik Farm and other illegal constructions in the agricultural green belt.

III. Connected Issues

To look into all the connected issues and recommend measures/steps which need to be adopted to secure effective implementation of laws on the subject and check coming up of such unauthorised colonies/constructions in future.

Time-frame

The Commission shall submit its report to the Central Government within six months from the date of its first sitting.

[F. No. J-13036/4/2000-DDIIB]
DR. NIVEDITA P. HARAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054